संख्या-29/2018/1342/12-5-2018-सा०-12/2018

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक:: 26 दिसम्बर, 2018**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 03-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-0301-वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-भू०सं०/श०एवंवा०/पीएमकेएसवाई-खे०ता०उप०/203/2018-19, दिनांक 09.10.2018 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 03-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-0301-वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना (कें.60/रा.40-कें*रा.) के मानक मद 27-सब्सिडी में रू० 426.11 लाख (रू० चार करोड़ छब्बीस लाख ग्यारह हजार मात्र) एवं मानक मद 42-अन्य व्यय में रू० 70.79 लाख (रू० सत्तर लाख उन्यासी हजार मात्र) अर्थात कुल 496.90 लाख (रू० चार करोड़ छियान्वे लाख नब्बे हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी०एम०-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश, बजट मैनुअल और फाइनेनिशयल हैंड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी है उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3- उक्त धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए कार्ययोजना में अनुमोदन प्राप्त है। उक्त धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। व्यय के सापेक्ष वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण माहवार/जनपदवार निर्धारित प्रारूप पर समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। अब तक शासन द्वारा योजनान्तर्गत स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जनपदों को धनराशि आवंटित करने के पूर्व वित्त नियंत्रक से सहमति प्राप्त कर ली जाए।

4- कृषि निदेशक उ0प्र0 जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेबसाइट पर उपलबध कराया जायेगा। योजना का इम्पैक्ट एसेसमेन्ट कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय।

5- योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाय तथा लाभार्थियों की सूची एवं उन्हे दिये गये लाभ का रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरित की जाए।

7- जिस मद में बचत बतायी गयी है चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में उस मानक मद में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

8- उक्त पुनर्विनियोजित की जा रही धनराशि अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, 0201-मृदा तथा जल संरक्षण की योजनाएं (कें.60/रा.40-कें*रा.) के मानक मद 27-सब्सिडी में होने वाली बचत को पुनर्विनियोग करते हुए लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 03-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-0301-वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना (कें.60/रा.40-कें*रा.) के मानक मद 27-सब्सिडी एवं मानक मद 42- अन्य व्यय आदि पर व्यय के नामे डाला जायेगा।

9- पुनर्विनियोजित करायी जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग एस0सी0एल0पी0/टी0एस0पी0 की भारत सरकार तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह आदेश उक्त शासनादेशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

संख्या-29/2018/1342(1)/12-5-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्न की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
5. अपर कृषि निदेशक (सामान्य), कृषि भवन, लखनऊ।
6. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
7. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
9. गार्ड फाइल।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in